


न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली

- नोटिस -

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 'कोरोना वायरस' (Novel Corona Virus) (COVID-19) को महामारी घोषित करने के पश्चात् व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई. दिनांक 14.04.20 व परिपत्र क्रमांक 19/पी.आई. दिनांक 30.5.20 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में इस न्यायालय में लम्बित सभी फौजदारी प्रकरणों में नियत तिथि के स्थान पर निम्नानुसार आगामी तिथि नियत की जाती है। इस अवधि में केवल आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी-

<u>नियत तिथि</u>	<u>आगामी तिथि</u>
01.06.20	23.06.20
02.06.20	24.06.20
03.06.20	25.06.20
04.06.20	26.06.20
05.06.20	29.06.20
06.06.20	30.06.20
08.06.20	01.07.20
09.06.20	02.07.20
10.06.20	03.07.20
11.06.20	04.07.20
12.06.20	06.07.20

सभी पक्षकारान एवं अधिवक्तागण सूचित रहे ।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली